रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938
No. 898] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1187(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में अनुलग्नित किया गया है।

2. उक्त संशोधन विनियम, कार्यालयी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पोर्ट आफ चेन्नै के बोर्ड के न्यासी मन्डल ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ :

(i) ये विनियम चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2016 कहलाएँगे।

(ii) ये विनियम महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद, भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से लागू होंगे ।

2. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में, विनियम 4 में, प्रथम अनुच्छेद के अंतिम वाक्य "प्रतिनियुक्ति की अवधि] ---- बढ़ाया जा सकती है" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 साल जो 4 साल के लिए बढ़ायी जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों में एक पद के मामले में जिसकी पदाधिकारी एक विभाग प्रमुख हो, केन्द्र सरकार द्वारा और विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे अन्य कोई पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे 5 वर्षों तक विस्तार किया जा सकता है।"

[फा. सं. पी आर –12012/9/2014–पी ई–I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम जीएसआर संख्या 17 (अ) दिनांक 07–01–2009 तत्पश्चात्

(i) सा. का. नि. संख्या 834 (अ) दिनांक 22–11–2011 के अनुसार संशोधित।

(ii) सा. का. नि. संख्या 674 (अ) दिनांक 25–09–2013 के अनुसार संशोधित।

(iii) सा. का. नि. संख्या 504 (अ) दिनांक 13–06–2015 के अनुसार संशोधित।

(iv) सा. का. नि. संख्या 631 (अ) दिनांक 14–08–2015 के अनुसार संशोधित।

(v) सा. का. नि. संख्या 36 (अ) दिनांक 15–01–2016 के अनुसार संशोधित।

(vi) सा. का. नि. संख्या 601 (अ) दिनांक 15–06–2016 के अनुसार संशोधित।

(vii) सा. का. नि. संख्या 641 (अ) दिनांक 30–06–2016 के अनुसार संशोधित।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 2016

G.S.R. 1187(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Chennai and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

CHENNAI PORT TRUST

CHENNAI PORT TRUST EMPLOYEES' (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Chennai hereby makes the following regulations further to amend the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 namely :-

1. Short Title and Commencement:-

   (i) These Regulations may be called as Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

   (ii) These shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in Regulation 4, the last sentence of paragraph one "The normal period of deputation …….. five years.", shall be substituted by the following:—

"The normal period of deputation is 3 years which is extendable to 4 years. In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Foot Note: (i) Principal Regulations published *vide* GSR No.17 (E) dated 7th January 2009. Subsequently amended vide:

(i) GSR No. 834(E) dated the 22nd November, 2011.

(ii) GSR No. 674(E), dated 25th September 2013.

(iii) GSR No. 504(E), dated 13th June 2015.

(iv) GSR No. 631(E), dated 14th August 2015.

(v) GSR No. 36(E), dated 15th January 2016.

(vi) GSR No. 601(E), dated 15th June 2016.

(vii) GSR No. 641(E), dated 30th June 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1188(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा न्यासी मंडल द्वारा कंडला पोर्ट हेतु बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदन प्रदान करती है जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित हैं।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल एतद्वारा कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 को और अधिक संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है जो इस प्रकार हैं :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

(i) ये विनियम **कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम**, 2016 कहे जाएं।

(ii) ये भारत के राजपत्र में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धाराओं 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में विनियम 4 में अनुच्छेद एक का पांचवां वाक्य ''अपवादीक परिस्थितियों में...........जा सकता है।'' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा :-

''विशेष परिस्थितियों में, ऐसे पद के मामले में जिसका पदस्थ विभागाध्यक्ष के रूप में माना जाता है, केन्द्र सरकार द्वारा तथा विभागाध्यक्ष के स्तर से नीचे के किसी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।''

[फा. सं. पी आर–12012/9/2014–पी ई–I]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मुख्य विनियम सा. का. नि. संख्या 767 (अ) दिनांक 20-10-2009

(i) तत्पश्चात विनियम सा. का. नि. संख्या 551 (अ) दिनांक 07-07-2015 के अनुसार संशोधित।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

G.S.R. 1188(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016, made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2016.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations to further amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called as the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in Regulation 4, the last sentence of paragraph one "In exceptional circumstances, ------ five years." shall be substituted by the following:-

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department, by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Footnote: Principal Regulations published vide GSR No. 767(E) dated 20.10.2009 subsequently amended vide G.S.R.551(E) dated.07-07-2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.01.03 22:50:44 +05'30'